(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2824–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–6–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 284/अपील/14–15

.....

गोरधन पिता स्व0श्री वेणीराम मारू
निवासी ग्राम बोला तहसील सरदारपुर जिला धार

..... आवेदक

विरूद्ध

1–गोविंद पिता स्व0श्री वेणीराम मारू
2–परमानन्द पिता नाथु
3–श्रीमती रंभाबाई पति नाथु
निवासी ग्राम बोला तहसील सरदारपुर जिला धार
4–जानकीप्रसाद पिता भेरूलाल जायसवाल
निवासी ग्राम चंदोडिया तहसील सरदारपुर
जिला धार

..... अनावेदकगण

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक
श्री गौरव सक्सैना, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1 लगायत 3
श्री विजय इसासरे, अभिभाषक–अनावेदक 4

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 17/7/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 16 पर दिनांक 11–7–2012 को आदेश पारित कर उभयपक्ष के संयुक्त खाते की भूमि का बटांकन किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–2–2015 आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–6–2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि संयुक्त स्वामित्व की भूमि के केवल उस अंश को बेचने का अधिकार सह खातेदार को होता है जो उसके हिस्से में आई है अतः संयुक्त खाते की भूमि में से किसी विशिष्ट हिस्से या सर्वे नम्बर को बेचने का अधिकार सह खातेदार को नहीं है ।

(2) केता मात्र संयुक्त खाते की भूमि में बटवारा कराने का अधिकारी हो जाता है। इस तर्क के समक्ष में 1994 आरएन 175 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 4 के पक्ष में हुये नामान्तरण एवं बटांकन में आवेदक की सहमति से निष्कर्ष निकालने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है क्योंकि आवेदक द्वारा कभी भी अपनी सहमति नहीं दी गई है और आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि बटांकन एवं नामान्तरण की कार्यवाही एकसाथ एक ही पंजी पर नहीं हो सकती है ।

(5) तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण नियम 27 के पालन में हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना नहीं दी गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को को समर्थन दिया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 4 द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है और पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण पंजी कमांक 16 पर दिनांक 11–7–2012 को आदेश पारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि नामान्तरण पंजी पर आवेदक के हस्ताक्षर है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिसमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा संयुक्त खाते की भूमि में से एक हिस्से की भूमि विकय किये जाने के आधार पर तहसीलदार द्वारा विकय पत्र के आधार पर बिना यह देखे कि पृथक खाताधारकों की क्या पात्रता थी, नामान्तरण पंजी पर बंटवारा आदेश पारित कर दिया गया है, जो प्रथमदृष्टया ही नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील मात्र इस आधार पर निरस्त कर दी है कि बंटवारा सहमति से हुआ है, जबकि आवेदक की उनके समक्ष अपील ही आवेदक की असहमति का सूचक थी । अपर आयुक्त ने व्यवहार न्यायालय की निषेधाज्ञा को आधार बनाकर आदेश दिया है जबकि व्यवहार न्यायालय की निषेधाज्ञा का बिन्दु और अपील के बिन्दु पृथक–पृथक थे । वैसे भी अपर आयुक्त के अभिलेख में या अन्य किसी भी स्तर पर व्यवहार न्यायालय का कोई आदेश संलग्न नहीं है । स्पष्ट है कि नामान्तरण/बंटवारे की कार्यवाही प्रथमदृष्टया ही बिना किसी जॉच के

सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–6–2016, अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–02–2015 एवं तहसीलदार सरदारपुर जिला धार द्वारा नामान्तरण पंजी 16 पर पारित आदेश दिनांक 11–07–2012 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर